भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2466

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय : पीएम-किसान योजना

2466. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादकता और किसानों की आय पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसानों का और अधिक कल्याण करने के उद्देश्य से कोई अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देशभर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। अक्टूबर, 2024

में 18वीं किस्त जारी होने के दौरान इस योजना से तमिलनाडु के कुल 21.94 लाख लाभार्थियों को 455.86 करोड़ रुपये की राशि का लाभ मिला।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत संवितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, इस योजना ने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे जोखिम भरे लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं। पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य खर्चों को भी पूरा कर रही है। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम-किसान वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है।

(ङ) और (च): भारत सरकार देश में किसान कल्याण को बढ़ाने के लिए पीएम-किसान योजना के अलावा और भी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इनमें से कुछ योजनाएं हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, नमो ड्रोन दीदी, पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) आदि।

*****